

टेलिफैक्स:Telefax:+91-135-2744064, 2743331

वेबसाइट:Website: www.surveyofindia.gov.in

Fax-cum-Telephone: 0091-135-744064

ई-मेल:E-Mail: sgo soi@gov.in

sgo.conf soi@gov.in

सं०सी-3009/718-ए

सेवा में,



भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय

OFFICE OF THE SURVEYOR GENERAL OF INDIA

डाक बक्स सं० 37, POST BOX No.37,

देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)-भारत।

DEHRA DUN-248001 (UTTARAKHAND), INDIA

दिनांक: 16 नवम्बर, 2020

अपर महासर्वेक्षक: राष्ट्रीय भू-सूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान/मध्य क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र/उत्तरी क्षेत्र/दक्षिणी क्षेत्र ।

निदेशक: महाराष्ट्र एवं गोवा भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/राजस्थान भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/मध्य प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/आन्ध्र प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र ।

विषय: स्थापना एवं लेखा अधिकारी के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु स्थानान्तरण/तैनाती ।

निम्नलिखित कार्यालय अधीक्षक (ग्रुप 'बी' अराजपत्रित) को स्थापना एवं लेखा अधिकारी (ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के पद पर वेतन मेट्रिक्स के लेवल 7 में नियमित आधार पर पदोन्नति पर स्थानान्तरण/तैनाती के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती	पात्रता की तिथि
1.	Shri Gokul P Kodape (ST)	14-01-67	M&G GDC, Pune	Chhattisgarh GDC, Raipur	18-03-21
2.	Shri I S K Prasad	09-08-61	NIGST, Hyderabad	Odhisha GDC, Bhubaneswar	18-03-21
3.	Shri J.P.Meena (ST)	01-01-64	Rajasthan GDC, Jaipur	G&RB, Dehra Dun	--
4.	Km A.E.Khargonkar (ST)	01-09-67	NE Zone, Shillong	EPG, Kolkata	--
5.	Shri D.P.Atroliya (SC)	05-09-61	MP GDC, Jabalpur	MP GDC, Jabalpur	--
6.	Shri T.V.Veera Raghav	05-07-64	NIGST, Hyderabad	Bihar GDC, Patna	--
7.	Shri Devendra Kumar (SC)	01-07-63	Pb, Hr & Chd GDC. Chandigarh	Jammu & Kashmir GDC, Jammu	--
8.	Shri M.Narayan Rao	17-09-61	NIGST, Hyderabad	East UP GDC, Lucknow	--

2. उपरोक्त पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख से प्रभावी होगी तथा कार्य ग्रहण करने के प्रमाण पत्र फार्म 0.115 (लेखा) की दो प्रतियां इस कार्यालय को भेजने की कृपा करें। इन आदेशों को इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर लागू किया जाए। यदि इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर (क्रमांक 1 व 2 को छोड़कर उनकी पात्रता की तिथि से 1 माह के भीतर लागू किया जाये) सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा पदोन्नति की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति इस कार्यालय में प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि वह पदोन्नति अस्वीकार करते हैं तथा यदि उपरोक्त पदोन्नत कर्मचारी स्थान परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन देने के इच्छुक हों तो उनके प्रत्यावेदन इस पत्र के जारी होने के 10 दिन के भीतर इस कार्यालय में पहुंच जाने चाहिये।

3. पदोन्नति की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति, जैसा भी मामला हो, सम्बन्धित कर्मचारियों से स्पष्ट तरीके से लिखित रूप में प्राप्त करके इस कार्यालय को दिनांक 15-12-2020 तक अवश्य सूचित करें। उपरोक्त अधिकारियों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यदि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो उन्हें इस पत्र के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक पदोन्नति का कोई प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा और उनकी वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10-04-1989 के कार्यालय ज्ञापन सं0 22011/5/86-स्था0(डी0) के पैरा 17.12 में निहित शर्तों के अनुसार उन से कनिष्ठ को उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर दिया जाएगा।
4. अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्ति के कास्ट स्टेटस (Caste Status) के पुनः सत्यापन के विषय में आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निदेशालय द्वारा उनके पदोन्नति पर रिपोर्ट करने पर की जाये तथा यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि पुनः सत्यापन के पश्चात् यदि उक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित नहीं पाये गये तो उन्हें तत्काल उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा।
5. उपरोक्त अधिकारी स्थापना एवं लेखा अधिकारी के पद पर नियमित पदोन्नति की तिथि से दो वर्ष तक परीक्षा पर रहेंगे। इनके विषय में इस अवधि के कार्य तथा कार्य निष्पादन की मूल्यांकन रिपोर्ट इस कार्यालय को अवश्य भेजें।
6. उपरोक्त अधिकारियों को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन नियतन के लिए एफ0आर022(I)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प एक माह के भीतर देना होगा।
7. यदि उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक या दण्ड प्रक्रिया संबंधित मामला कार्यालय में लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किए जाएं।
8. ***The promotion orders are according to the instructions mentioned under para 4 of DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.***
9. पदोन्नत अधिकारियों से संलग्न Undertaking प्राप्त कर लें तथा अधिकारी की सेवा-पंजिका में अभिलेख हेतु रखें।

Digitally signed by (अरिन्दम गुप्ता) कर्नल
Date: 2020.12.15 10:00:00 +05'30'

उप महासर्वेक्षक
कृते भारत के महासर्वेक्षक

प्रतिलिपि:

1. अपर महासर्वेक्षक: पूर्वी क्षेत्र/विशिष्ट क्षेत्र/मुद्रण क्षेत्र।
2. निदेशक: छत्तीसगढ़ जी0डी0सी0/उड़ीसा जी0डी0सी0/ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा/पूर्वी मुद्रण वर्ग/बिहार जी0डी0सी0/जम्मू एवं कश्मीर जी0डी0सी0/उत्तरी मुद्रण वर्ग/पूर्वी उत्तर प्रदेश जी0डी0सी0।
3. लेखा अधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून।
4. लेखा अधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, हैदराबाद/कोलकाता/जयपुर।
5. कार्यालय अधीक्षक: स्थापना-1/स्थापना-2/जे0सी0एम0/कार्य अध्ययन एक्क अनुभाग(म0स0का0)।
6. महासचिव, मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन।
7. फाइल संख्या 1354-ओ0एस0/एस0जी0ओ0।
8. इंचार्ज, ई-ऑफिस।
9. इंचार्ज, वेब एडमिन।

UNDERTAKING

1. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of Contempt Petition (C) No. 30621/2011(*Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others*) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases.

Place:

Date:

Signature:

Name:

Address of Office:

COUNTERSIGNED BY ADDL SG/DIRECTOR

वचन पत्र

1. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं Contempt Petition (C) No. 30621/2011(*Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others*) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases के निर्णय का पालन करूंगा ।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर:

कर्मचारी का नाम:

कार्यालय:

अपर महासर्वेक्षक/निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित



अपर महासर्वेक्षक: भारतीय सर्वेक्षण एवं मानचित्रण संस्थान/पूर्वोत्तर क्षेत्र/मुद्रण क्षेत्र/उत्तरी क्षेत्र ।

निदेशक: महाराष्ट्र एवं गोवा भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/उत्तरी मुद्रण वर्ग/पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/असम एवं नागालैण्ड भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र ।

स्थापना एवं लेखा अधिकारी 'प्रशासन' (म0स0का0) ।

विषय: स्थापना एवं लेखा अधिकारी के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु स्थानान्तरण/तैनाती ।

निम्नलिखित कार्यालय अधीक्षक (ग्रुप 'बी' अराजपत्रित) को स्थापना एवं लेखा अधिकारी (ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के पद पर वेतन मेट्रिक्स के लेवल 7 में नियमित आधार पर पदोन्नति पर स्थानान्तरण/तैनाती के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती	पात्रता की तिथि
1.	Shri B.K.Sonparote (ST)	Maharashtra & Goa GDC, Pune	Maharashtra & Goa GDC, Pune	--
2.	Shri Gokul P Kodape (ST)	Maharashtra & Goa GDC, Pune	Chhattisgarh GDC, Raipur	--
3.	Smt. Subha V Nair	IISM, Hyderabad	AP GDC, Hyderabad	--
4.	Shri I S K Prasad	IISM, Hyderabad	MP GDC, Jabalpur	--
5.	Smt.Amelia Warjri (ST)	Meghalaya & Arunachal Pradesh GDC, Shillong	Meghalaya & Arunachal Pradesh GDC, Shillong	01-05-20
6.	Shri Satya Pal Singh (SC)	NPG, Dehra Dun	G&RB, Dehra Dun	--
7.	Shri Rajiv Kapoor	Punjab, Haryana & Chandigarh GDC, Chandigarh	MA&DC, Dehra Dun	--
8.	Shri Badal Maitra (SC)	Assam & Nagaland GDC, Guwahati	West Bengal & Sikkim GDC, Kolkata	--
9.	Shri Anand Prakash (SC)	SGO, Dehra Dun	SGO, Dehra Dun	--

2. उपरोक्त पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख से प्रभावी होगी तथा कार्य ग्रहण करने के प्रमाण पत्र फार्म 0.115 (लेखा) की दो प्रतियां इस कार्यालय को भेजने की कृपा करें । इन आदेशों को इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर लागू किया जाए, केवल क्रमांक 5 पर अंकित Smt.Amelia Warjri (ST) के अतिरिक्त जोकि वर्तमान स्थापना एवं लेखा अधिकारी की सेवानिवृत्ति के पश्चात कार्यभार ग्रहण करेंगी । यदि इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा पदोन्नति की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति इस कार्यालय में प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि वह पदोन्नति

अस्वीकार करते हैं तथा यदि उपरोक्त पदोन्नत कर्मचारी स्थान परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन देने के इच्छुक हों तो उनके प्रत्यावेदन इस पत्र के जारी होने के 10 दिन के भीतर इस कार्यालय में पहुंच जाने चाहिये ।

3. पदोन्नति की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति, जैसा भी मामला हो, सम्बन्धित कर्मचारियों से स्पष्ट तरीके से लिखित रूप में प्राप्त करके इस कार्यालय को दिनांक 17-04-2020 तक अवश्य सूचित करें । उपरोक्त अधिकारियों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यदि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो उन्हें इस पत्र के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक पदोन्नति का कोई प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा और उनकी वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10-04-1989 के कार्यालय ज्ञापन सं० 22011/5/86-स्था०(डी०) के पैरा 17.12 में निहित शर्तों के अनुसार उन से कनिष्ठ को उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर दिया जाएगा ।

4. अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्ति के कास्ट स्टेटस (Caste Status) के पुनः सत्यापन के विषय में आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निदेशालय द्वारा उनके पदोन्नति पर रिपोर्ट करने पर की जाये तथा यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि पुनः सत्यापन के पश्चात् यदि उक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित नहीं पाये गये तो उन्हें तत्काल उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा ।

5. उपरोक्त अधिकारी स्थापना एवं लेखा अधिकारी के पद पर नियमित पदोन्नति की तिथि से दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे । इनके विषय में इस अवधि के कार्य तथा कार्य निष्पादन की मूल्यांकन रिपोर्ट इस कार्यालय को अवश्य भेजें ।

6. उपरोक्त अधिकारियों को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन नियतन के लिए एफ०आर०22(I)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प एक माह के भीतर देना होगा ।

7. यदि उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक या दण्ड प्रक्रिया संबंधित मामला कार्यालय में लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किए जाएं ।

8. *The promotion orders are according to the instructions mentioned under para 4 of DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.*

9. पदोन्नत अधिकारियों से संलग्न Undertaking प्राप्त कर लें तथा अधिकारी की सेवा-पंजिका में अभिलेख हेतु रखें ।

(अरिन्दम गुप्ता) कर्नल

उप महासर्वेक्षक

कृते भारत के महासर्वेक्षक

प्रतिलिपि:

1. अपर महासर्वेक्षक: दक्षिणी क्षेत्र/विशिष्ट क्षेत्र/पूर्वी क्षेत्र/मध्य क्षेत्र ।
2. निदेशक: छत्तीसगढ़ जी०डी०सी०/आन्ध्र प्रदेश जी०डी०सी०/मध्य प्रदेश जी०डी०सी०/ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा/मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केन्द्र/पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम जी०डी०सी०।
3. लेखा अधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून ।
4. लेखा अधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, हैदराबाद/कोलकाता
5. कार्यालय अधीक्षक: स्थापना-1/स्थापना-2/जे०सी०एम०/कार्य अध्ययन एक्क अनुभाग(म०स०का०) ।
6. महासचिव, मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन ।
7. फाइल संख्या 1354-ओ०एस०/एस०जी०ओ० ।

UNDERTAKING

1. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases.

Place:

Date:

Signature:

Name:

Address of Office:

COUNTERSIGNED BY ADDL SG/DIRECTOR

वचन पत्र

1. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases के निर्णय का पालन करूंगा ।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर:

कर्मचारी का नाम:

कार्यालय:

अपर महासर्वेक्षक/निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित



भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

टेलिफैक्स:Telefax:+91-135-2744064, 2743331

वेबसाइट:Website: www.surveyofindia.gov.in

Fax-cum-Telephone: 0091-135-744064

ई-मेल:E-Mail: sgo.soi@gov.in

sgo.conf.soi@gov.in



भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय
OFFICE OF THE SURVEYOR GENERAL OF INDIA
डाक बक्स सं० 37, POST BOX No.37,
देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)-भारत।
DEHRA DUN-248001 (UTTARAKHAND), INDIA

सं०सी- 2149/718-ए

दिनांक: 24 जून, 2020

सेवा में,

स्थापना एवं लेखा अधिकारी 'प्रशासन' (म०स०का०) ।

विषय: स्थापना एवं लेखा अधिकारी के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु स्थानान्तरण/तैनाती ।

निम्नलिखित कार्यालय अधीक्षक (ग्रुप 'बी' अराजपत्रित) को स्थापना एवं लेखा अधिकारी (ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के पद पर वेतन मेट्रिक्स के लेवल 7 में नियमित आधार पर पदोन्नति पर स्थानान्तरण/तैनाती के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती
1.	Shri Manmohan Kohli (SC)	SGO, Dehra Dun	NPG, Dehra Dun

2. उपरोक्त पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख से प्रभावी होगी तथा कार्य ग्रहण करने के प्रमाण पत्र फार्म 0.115 (लेखा) की दो प्रतियां इस कार्यालय को भेजने की कृपा करें। इन आदेशों को इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर लागू किया जाए। यदि इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा पदोन्नति की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति इस कार्यालय में प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि वह पदोन्नति अस्वीकार करते हैं तथा यदि उपरोक्त पदोन्नत कर्मचारी स्थान परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन देने के इच्छुक हों तो उनके प्रत्यावेदन इस पत्र के जारी होने के 10 दिन के भीतर इस कार्यालय में पहुंच जाने चाहिये।

3. पदोन्नति की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति, जैसा भी मामला हो, सम्बन्धित कर्मचारी से स्पष्ट तरीके से लिखित रूप में प्राप्त करके इस कार्यालय को दिनांक 24-07-2020 तक अवश्य सूचित करें। उपरोक्त अधिकारी को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यदि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो उन्हें इस पत्र के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक पदोन्नति का कोई प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा और उनकी वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10-04-1989 के कार्यालय ज्ञापन सं० 22011/5/86-स्था०(डी०) के पैरा 17.12 में निहित शर्तों के अनुसार उन से कनिष्ठ को उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर दिया जाएगा।

4. अनुसूचित जाति के व्यक्ति के कास्ट स्टेटस (Caste Status) के पुनः सत्यापन के विषय में आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निदेशालय द्वारा उनके पदोन्नति पर रिपोर्ट करने पर की जाये तथा यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि पुनः सत्यापन के पश्चात् यदि उक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति से सम्बन्धित नहीं पाये गये तो उन्हें तत्काल उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा।

क्रमशः....2/-

5. उपरोक्त अधिकारी स्थापना एवं लेखा अधिकारी के पद पर नियमित पदोन्नति की तिथि से दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। इनके विषय में इस अवधि के कार्य तथा कार्य निष्पादन की मूल्यांकन रिपोर्ट इस कार्यालय को अवश्य भेजें।

6. उपरोक्त अधिकारी को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन नियतन के लिए एफ0आर022(I)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प एक माह के भीतर देना होगा।

7. यदि उपरोक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक या दण्ड प्रक्रिया संबंधित मामला कार्यालय में लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किए जाएं।

8. *The promotion orders are according to the instructions mentioned under para 4 of DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.*

9. पदोन्नत अधिकारी से संलग्न Undertaking प्राप्त कर लें तथा अधिकारी की सेवा-पंजिका में अभिलेख हेतु रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by ARINDAM
GUPTA
Date: 2020.06.21 11:33:33
(अरिंदम गुप्ता)

कर्नल

उप महासर्वेक्षक

कृते भारत के महासर्वेक्षक

प्रतिलिपि:

1. अपर महासर्वेक्षक, मुद्रण क्षेत्र, हैदराबाद।
2. निदेशक, उत्तरी मुद्रण वर्ग, देहरादून।
3. लेखा अधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून।
4. कार्यालय अधीक्षक: स्थापना-1/स्थापना-2/जे0सी0एम0/कार्य अध्ययन एक्क अनुभाग(म0स0का0)।
5. महासचिव, मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन।
6. फाइल संख्या 1354-ओ0एस0/एस0जी0ओ0।
7. इंचार्ज, ई-ऑफिस।
8. इंचार्ज, वेब एडमिन।

**File No.C-7180A/1/2020-Confidential-SGO
UNDERTAKING**

1. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of Contempt Petition (C) No. 30621/2011(*Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others*) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases.

Place:

Date:

Signature:

Name:

Address of Office:

COUNTERSIGNED BY ADDL SG/DIRECTOR

वचन पत्र

1. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं Contempt Petition (C) No. 30621/2011(*Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others*) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases के निर्णय का पालन करूंगा ।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर:

कर्मचारी का नाम:

कार्यालय:

अपर महासर्वेक्षक/निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित